' – ⌣

राजस्थान सरकार,
पशुपालन विभाग

क्रमांकः एफ.वी. 13(13)(1)/पपावि/यो./पुर्नगठन212–13/ दिनांकः

<u>आज्ञा</u>

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने हेतु पूर्व में प्रसारित आज्ञा संख्या प.2 (1)पपा/2002 जयपुर दिनांक 5.9.2002 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार संशोधित मापदण्ड एतद् द्वारा निर्धारित किये जाते हैं:–

(1) पशु चिकित्सालय खोलने हेतु मापदण्ड

(अ) ग्रामीण क्षेत्रः–

1. निकटतम पशु चिकित्सालय/**उपकेन्द्र** एवं संस्था से 6 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम **कुल** पशुधन की संख्या **6 किलोमीटर की परिधि में लगभग 5000 हो।**
3. पक्की सड़क/पानी,**बिजली**, दूरभाष आदि की सुविधियें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. 200 वर्गगज जमीन तथा 3–4 कमरों का पक्का भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(ब) शहरी क्षेत्रः–

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र एव संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम **कुल** पशुधन की संख्या **4 किलोमीटर की परिधि में लगभग 3000 हो।**
3. पक्की सड़क/पानी,बिजली, दूरभाष आदि की सुविधियें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. 150 वर्गगज जमीन तथा 4 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(2) पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने हेतु मापदण्ड

(अ) ग्रामीण क्षेत्रः–

1. निकटतम पशु चिकित्सालय/ उपकेन्द्र एव संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम **कुल** पशुधन की संख्या **4 किलोमीटर की परिधि में लगभग 3000 हो।**
3. पक्की सड़क/पानी,बिजली, दूरभाष आदि की सुविधियें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. 200 वर्गगज जमीन तथा 3–4 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(ब) शहरी क्षेत्रः–

1. निकटतम पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र एव संस्था से 3 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।

2. न्यूनतम **कुल** पशुधन की संख्या 3 **किलोमीटर की परिधि में लगभग 2000 हो।**

3. पक्की सड़क/पानी,बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

4. 100 वर्गगज जमीन तथा 2 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(मुकेश शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

कमांकः एफ.वी. 13(13)(1)/पपावि/यो./पुर्नगठन212–13/ 1615–108 दिनांकः 20/2/13

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पंजिका।

~~शासन उप सचिव~~ अनुभागाधिकारी
पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज0 जयपुर

एफ.वी.13(13)(1)पपावि/यो./पुर्नगठन/12–13/ 1629–1707 दिनांक :–20/2/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त निदेशक उत्पादन/स्वास्थ्य पशुपालन निदेशालय।
2. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
3. संयुक्त निदेशक एस.ए./प्रशिक्षण पशुपालन निदेशालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक पशुपालन विभाग .... को भेजकर लेख है कि पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने हेतु शासन द्वारा किये गये आंशिक संशोधन अनुसार परीक्षण रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उप-निदेशक, पशु पालन विभाग, कुचामन सिटी (नागौर)
5. रक्षित पंजिका।

उपनिदेशक (योजना)